# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 06/2020 निर्णय दिनांकः 20.9.2021
ऑनलाईन नम्बर 2020/00166
डूंगरराम पुत्र मालूराम जाति जाट निवासी ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—अपीलान्ट—

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—रेस्पोडेन्ट—

उपस्थितिः—
1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रामलाल नायक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

**<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट</u>**

यह अपील डूंगरराम ने जरिये अधिवक्ता मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने खेत खरा नम्बर 643 तादादी 7.5100 हैक्टेयर रोही ग्राम ठुकरियासर श्रीडूंगरगढ के 1/2 हिस्सा जिसकी खातेदारी भीखा पुत्र खुदाबक्श जाति धोबी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.05.2020 को खरीद किया था। विक्रेता ने मौके पर कब्जा अपीलान्ट को सौप दिया । खसरा नम्बर 643 तादादी 7.51 हैक्टैयर रोही ठुकरियासर की 1/2 हिस्सा जमीन जरिये विक्रय पत्र खरीद करने से अपीलान्ट का अधिकार हासिल हो गया। यह है कि हर खातेदार को अपनी जमीन विक्रय करने का अधिकार होता है। विक्रय पत्र खातेदार स्वय उपस्थित होकर या मुख्त्यारआम के जरिये उपस्थित होकर सम्पादित करवा सकता है खेत खसरा नम्बर 643 तादादी 7.51 हैक्टेयर रोही ठुकरियासर के 1/2 हिस्सा के खातेदार भीखा पुत्र खुदाबक्श ने जरिये पुख्त्यारआम अपनी खातेदारी की भूमि अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दी तो अपीलान्ट को खसरा नम्बर 643 के 1/2 हिस्सा की भूमि का अधिकार हासिल हो गया। यह है कि विक्रय पत्र होने के बाद एक प्रति इंतकाल दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को प्रेषित की जाती है। पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल की कार्यवाही कर ग्राम पंचायत के सरपच के समक्ष रखी जाती है और सरपंच द्वारा इन्तकाल तस्दीक किया जाता है और उसके आधार पर खातेदारी दर्ज की जाती है। यह है कि अपीलान्ट ने दिनांक 03.12.2020 को पटवारी हल्का से इन्तकाल बाबत जानकारी की तो पटवारी ने बताया कि इन्तकाल दर्ज नही हुआ है। इस पर पटवारी ने बताया कि इन्तकाल संख्या 1193 की नकल दिनांक 03.12.2020 को नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण खोला जाकर विक्रय अनुसार प्रविष्टि सही होने का इन्द्राज कर आगामी कार्यवाही हेतु सरपंच ग्राम पंचायत ठुकियासर के सरपंच ने अकंन किया कि इन्तकाल संख्या 1193 बैठक दिनांक 23.10.2020 में पेश हुआ और पुख्त्यारआम उपपजीयक द्वारा पंजीबद्ध नही होने के कारण सर्वसम्मति से इन्तकाल खारिज किया जाता है। इन्तकाल की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 03.12.2020 को अपीलान्ट ज्ञात हुआ कि ग्रमा पंचायत ठुकरियासर द्वारा इन्तकाल खारिज कर दिया गया है इससे पहले

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अपीलान्ट को इनतकाल की खारीज होने की जानकारी नही रही । यह है कि ग्राम पचायंत सरपंच को विकय पत्र की प्रविष्टि सही हो तो पात्र इस आधार पर इन्तकाल खारिज करने का अधिकार नही है कि मुख्त्यारआम उपपंजीयक द्वारा पंजीवद्ध नही है। मुख्त्यारआम देखने का देरपोडेन्ट को कोई अधिकार नही रेरपोडेन्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राजनैतिक द्वैषतावंश अपीलान्ट के नाम इन्तकाल स्वीकार नही किया है। मात्र इस आधार पर इन्तकाल खारिज कर दिया कि मुख्त्यारआम उपपजीयक द्वारा पंजीबद्ध नही है। ग्राम पंचायत ठुकरियासर का आद्रेश पूर्णतया शुरू से ही अवैध शून्य है तथा काबिले खारिज है। यह है कि अपीलान्ट को ग्राम पंचायत के आदेश की जानकारी दिनांक 03.12.2020 को नकल प्राप्त करने से अपील अन्दर मियाद है। यह है कि ग्राम पंचायत ठुकरियासर का आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध है ग्राम पंचायंत को मुख्त्यारआम उपउपजीयक द्वारा पंजीबद्ध नही है। इसके आधार पर खारिज करने का कोई अधिकार नही है ग्रामपंचायत के इन्तकाल खारिज के आदेश केविरूद्ध अपील सुनवाई का अधिकार श्रीमानजी को है इसलिये अपील श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट का आदेश दिनांक 23.10.2020 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 1193 बाबत खेत खसरा नम्बर 643 रोही ठुकरियासर अपास्त फरमया जाकर खेत खसरा नम्बर 643 रोही ठुकरियासर के 1/2 हिस्सा की खातेदारी का इन्तकाल विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

अपीलान्ट की उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिक्तवा उपस्थित आये। बहस अपील सुनी गई। वकील अपीलान्ट से बहस करते हुए तर्क दिया कि मुख्यतयारनामा का रजिस्टेशन आवश्यक नही है, मुख्त्यारनामा नोटेरी द्वारा प्रमाणित है, मुख्तयार देहिन्दा ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने द्वारा श्रीराम को मुख्तयारआम नियुक्त करने का कथन किया है। ग्राम पंचायत को को यह देखने का अधिकार नहीं है कि मुख्तयारनामा पंजीकृत है या नही। मुख्तयारनामें के आधार पर सबरजिस्ट्रार श्रीडूंगरगढ ने अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीकृत किया है। उपपंजीयक ने मुख्तयारनामा पर कोई आपति नही की है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत का इन्तकाल खारिज करने का आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध मनमाना है। ग्राम पंचायत के आदेश की जानकारी 03.12.2020 को नकल प्राप्त करने पर हुई है इसलिए अपील अन्दर मियाद है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए तर्क दिया कि ग्राम पंचायत के आदेश पूर्णताय विधि अनुसार है, मुख्तयार देहिन्दा ने ग्राम पंचायत के समक्ष कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया।

हमने उभय पक्षकारानों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन इन्तकाल का अवलोकन किया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा अंकित किया गया है कि मुख्तयारनामा पंजीबद्ध न होकर नोटेरी द्वारा तस्दीक है। इसी इन्तकाल में यह भी अंकित किया गया है कि विक्रय पत्र के अनुसार प्रविष्टि सही है। जब ग्राम पंचायत स्वंय विक्रय पत्र के अनुसार प्रविष्टि सही होना मानते है तो मात्र इस

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

आधार पर इन्तकाल खारिज नही किया जाना चाहिये कि मुख्तयारनामा पंजीवद्ध न होकर नोटेरी द्वारा तस्दीक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

**आदेश**

ग्राम पंचायत ठुकरियासर का आदेश दिनांक 23.10.2020 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 1193 बाबत खेत खसरा नम्बर 643 रोही ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ को निरस्त किया जाकर खेत खसरा नम्बर 643 रोही ठुकरियासर के 1/2 हिस्सा की खातेदारी का इन्तकाल विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्अनुसार पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमीलपूर्ति नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)